राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 152

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, रविवार, 10 नवंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

जहां रामलला विराजमान रहे हैं, वहां राम जन्मस्थान स्वयं सिद्ध रही है। कोर्ट का फैसला वस्तुत: सच्चाई की जीत है। जल्दी ही वहां भव्य मंदिर के रूप में रामभक्तों का चिर स्वप्न भी साकार होगा।

महंत नृत्यगोपालदास,
राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष एवं मणिरामदास जी की छावनी के महंत

वहीं बनेगा मंदिर

- विवादित स्थान रामलला का, वैकल्पिक जगह पर मस्जिद
- पांच जजों की संविधान पीठ का सर्वसम्मति से फैसला
- निर्मोही अखाड़ा व शिया वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज

माला दीक्षित ● नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने 500 साल से चले आ रहे विवाद का पटाक्षेप करते हुए शनिवार को अपने ऐतिहासिक सर्वसम्मत फैसले में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया। अपनी जन्मभूमि पर मालिकाना हक का मुकदमा लड़ रहे रामलला विराजमान को जन्मभूमि मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि का अंदरूनी और बाहरी अहाता ट्रस्ट या बोर्ड के जरिये मंदिर निर्माण के लिए देने का आदेश दिया। तीन महीने के अंदर अयोध्या अधिग्रहण कानून 1993 की धारा 6 और 7 के तहत एक योजना बनाकर सरकार को ट्रस्ट गठित करने का आदेश है। कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक संपत्ति ट्रस्ट को नहीं सौंप दी जाती, तब तक संपत्ति केंद्र के रिसीवर के ही कब्जे में रहेगी। जबकि गैरकानूनी ढंग से तोड़ी गई मस्जिद के बदले मुसलमानों को वैकल्पिक स्थान पर मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ जमीन आवंटित करने का आदेश दिया है। संविधान पीठ के पांच न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया है।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए राम जन्मभूमि को तीन बराबर हिस्सों में बांटने का इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश गलत ठहराया है। शनिवार को छुट्टी के दिन खचाखच भरे कोर्ट रूम में सुप्रीम कोर्ट ने 1045 पृष्ठ के अपने फैसले में कहा कि जमीन को तीन हिस्सों में बांटने का आदेश कानूनन बने रहने लायक नहीं है। यहां तक कि समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिहाज से भी हाई कोर्ट द्वारा दिया गया समाधान व्यवहारिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवादित जमीन 1500 वर्गगज है और इसे विभाजित करने से न तो पक्षकारों के उद्देश्य पूरे होते हैं और न ही स्थायी शांति और सद्भाव सुनिश्चित होता है। कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा का मुकदमा समय बाधित घोषित कर निरस्त कर दिया, जबकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का मुकदमा समय भीतर दाखिल किया गया माना। हाई कोर्ट ने दोनों के मुकदमे समय बाधित घोषित कर खारिज कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रामलला का मुकदमा स्वीकार करने योग्य है और वह कानून की निगाह में न्यायिक व्यक्ति हैं। देवकी नंदन अग्रवाल को रामलला की ओर से मुकदमा करने का अधिकार है। 1500 वर्गगज की विवादित भूमि रामलला के हक में डिक्री करने के साथ ही सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए वैकल्पिक जमीन आवंटित करना जरूरी है। कोर्ट ने माना कि मुसलमानों की मस्जिद गैरकानूनी ढंग से नष्ट की गई।

हिंदू पक्ष का दावा मुस्लिम पक्ष से ज्यादा मजबूत: कोर्ट ने कहा कि संभावनाओं का संतुलन और जमीन पर कब्जे को लेकर हिंदू पक्ष का दावा सुबूतों को देखते हुए मुस्लिम पक्ष से ज्यादा मजबूत है।

मुसलमानों को दी पांच एकड़ जमीन: सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को वैकल्पिक स्थान पर पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों को 22-23 दिसंबर, 1949 की रात मस्जिद से बेदखल कर दिया गया और अंततः 6 दिसंबर, 1992 को मस्जिद ध्वस्त कर दी गई। मुसलमानों ने कभी भी मस्जिद को त्यागा नहीं था। कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सुनिश्चित करेगा कि जिसके साथ गलत हुआ है, वह ठीक किया जाए। अनुच्छेद 142 में अधिकार है कि विशेष परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह का आदेश दे सकता है।

पीठ ने कहा कि कोर्ट मुसलमानों के अधिकार को नजरअंदाज कर देता है तो न्याय नहीं होगा। मुसलमानों को मस्जिद से इस तरह वंचित किया गया जिसे कानून के शासन वाले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में नहीं अपनाया जाता। संविधान सभी धर्मों को समान मान्यता देता है। सहिष्णुता, सहअस्तित्व और धर्मनिरपेक्षता हमारे राष्ट्र और जनता की प्रतिबद्धता है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि या तो केंद्र सरकार अयोध्या में अधिगृहीत की गई जमीन से पांच एकड़ भूमि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आवंटित करे या फिर उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में उचित और प्रमुख स्थान पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को जमीन आवंटित करे। मुसलमानों को जमीन आवंटन में केंद्र व राज्य आपस में परामर्श करेंगे। सुन्नी वक्फ बोर्ड को उस आवंटित जमीन पर मस्जिद बनाने की छूट होगी।

निर्मोही अखाड़ा को ट्रस्ट में शामिल किया जाएगा: सुप्रीम कोर्ट ने वैसे तो निर्मोही अखाड़ा का मुकदमा समय बाधित बताकर खारिज कर दिया, साथ ही केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह निर्मोही अखाड़ा को भी गठित किए जाने वाले ट्रस्ट में उचित प्रतिनिधित्व देगी।

सुप्रीम कोर्ट ने पूजा के अधिकार को दी मान्यता

सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल सिंह विशारद की उपासक के तौर पर विवादित स्थल पर पूजा-अर्चना के मांगे गए अधिकार को मान्यता दी है। कोर्ट ने कहा है कि विवादित स्थल पर पूजा-अर्चना का अधिकार होगा, हालांकि यह अधिकार पूजा अर्चना के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने की संबंधित अथॉरिटी के नियंत्रण और निर्देश के अधीन होगा।

शिया वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने अप्रत्याशित देरी के आधार पर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की 30 मार्च, 1946 के फैजाबाद अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि याचिका 24,964 दिन की देरी से दाखिल की गई है। याचिका में देरी के कारण का उचित आधार भी नहीं दिया गया है।

नई दिल्ली में शनिवार को राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक फैसला आने के बाद एक दूसरे को गले लगाकर बधाई देते अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष नंद किशोर मिश्रा व मुस्लिम नेता शोएब कासिमी ● ध्रुव कुमार

क्या था 30 सितंबर 2010 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला

- 2.77 एकड़ जमीन तीन पक्षों में बराबर-बराबर बांटी गई थी
- निर्मोही अखाड़े को राम चबूतरा, सीता रसोई सहित उसका हिस्सा दिया था
- विवादित भूमि का एक तिहाई बाहरी हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिला था

मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर्वसम्मति से सुनाया गया फैसला अपने आप में मील का पत्थर साबित होगा। यह फैसला एकता, एकजुटता और भारत की महान संस्कृति को मजबूत करेगा।

अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

मुझे उस आंदोलन का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ जो स्वतंत्रता आंदोलन के बाद सबसे बड़ा था। संविधान पीठ के राममंदिर के पक्ष में फैसला देने के लिए मैं दिल की गहराई से धन्य महसूस कर रहा हूं।

लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा नेता

अयोध्या मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए हम सब को आपसी सद्भाव बनाए रखना है। यह वक्त सभी भारतीयों के लिए आपसी भाईचारा, विश्वास और प्रेम बनाए रखने का है।

राहुल गांधी, कांग्रेस नेता

पहली बार शनिवार को फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने 69 वर्ष के अपने इतिहास में संभवत: पहली बार शनिवार को कोई फैसला सुनाया है। आम तौर पर सोमवार से शुक्रवार तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। असाधारण परिस्थितियों में अदालत में शनिवार या किसी अन्य अवकाश के दिन या फिर रात में सुनवाई होती है। छह दिसंबर 1992 की शाम को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एमएन वेंकटचलैया ने सुनवाई कर विवादित ढांचा ढहाए जाने पर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को फटकार लगाई थी। शीर्ष कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह दुर्लभ मामला है जब मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने ऐसे महत्वपूर्ण मामले का फैसला सुनाने के लिए शनिवार का दिन चुना।

दो घंटे पहले ही कोर्ट पहुंच गए थे वकील और पत्रकार

सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को अलग तरह का माहौल था। कोर्ट नंबर एक, जहां मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ को अयोध्या मामले का फैसला सुनाना था वहां प्रवेश करने के लिए बड़ी संख्या में वकीलों और पत्रकारों को संघर्ष करते देखा गया। फैसला सुनाने के लिए सुबह 10:30 बजे का समय निर्धारित था। लेकिन विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील और पत्रकार दो घंटे पहले से ही पहुंचने लगे थे। 10:15 तक प्रतीक्षा करने के बाद सुरक्षाकर्मियों ने एक-एक कर तीनों दरवाजे खोले। प्रवेश की अनुमति मिलने के बाद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई। सुबह 10:30 बजे से एक मिनट पहले पांचों न्यायाधीशों के बैठते ही सबकुछ सामान्य हो गया।

19 गवाहियों का किया विश्लेषण

रामजन्मभूमि मामले में विवाद के बिंदु तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 19 ऐसे गवाहों की गवाहियों का विश्लेषण किया जिनसे रामलला के वकील ने जिरह की थी। इसके लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने हिंदू और मुस्लिम गवाहों की गवाहियों में अंतर की बारीकी से जांच की। पीठ के मुताबिक, मुस्लिम जिसे बाबरी मस्जिद बताते हैं उसे हिंदू रामजन्मभूमि मानते हैं। इस बात को लेकर भी विवाद था कि 22-23 दिसंबर, 1949 से पहले तीन गुंबदों वाले ढांचे के गर्भ गृह में पूजा की जा रही थी अथवा नमाज पढ़ी जा रही थी। मुस्लिमों का कहना था कि 22 दिसंबर, 1949 तक वहां नमाज पढ़ी गई थी। जबकि हिंदुओं का कहना था कि वहां कोई नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी।

परासरन की दलीलों ने रखी फैसले की नींव

के. परासरन, वरिष्ठ वकील

जेएनएन, नई दिल्ली: राम जन्मभूमि मामले के फैसले की नींव दरअसल वरिष्ठ वकील के. परासरन ने अपनी दमदार दलीलों से रख दी थी। देश के अटार्नी जनरल रह चुके 92 वर्षीय परासरन का कद बताने के लिए एक वाकया काफी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वह रामलला की तरफ से पक्ष रखने के लिए जैसे ही खड़े हुए, प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने उनसे पूछा, 'क्या आप बैठकर बहस करना चाहेंगे?' परासरन ने कहा, 'कोई बात नहीं। बार की परंपरा खड़े होकर ही बहस करने की है।'

अयोध्या मामले में उन्होंने साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर साबित करने की कोशिश की कि राम का जन्म ठीक उसी स्थान पर हुआ था जहां रामलला विराजमान हैं और जो जगह विवादित ढांचे में केंद्रीय गुंबद के नीचे थी। इस दौरान उन्होंने पौराणिक ग्रंथों, धार्मिक पुस्तकों और इतिहास में दर्ज बातों को रखा। अपनी दलीलों के समर्थन में स्कंद पुराण, वाल्मीकि रामायण और विदेशी यात्रियों के वर्णन का हवाला दिया। यह भी दलील दी कि अयोध्या में बहुत सी मस्जिदें हैं और मुसलमान उनमें से कहीं पर भी नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन हिंदुओं के आराध्य श्रीराम के जन्मस्थान को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। 2016 के बाद से कोर्ट में परासरन की उपस्थिति भले ही कम रही हो, दो बड़े मुकदमों ने उन्हें फिर सुर्खियों में ला दिया। सबरीमाला और राम जन्मभूमि मामला। सबरीमाला मामले में उन्होंने मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का विरोध किया था जबकि सेतुसमुद्रम परियोजना मामले में रामसेतु के समर्थन में सरकार का विरोध किया था। परासरन ने सुप्रीम कोर्ट में 1958 में प्रैक्टिस शुरू की थी। आपातकाल के दौरान तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल थे। 1980 में सॉलिसिटर जनरल और 1983 से 1989 तक देश के अटॉर्नी जनरल रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उन्हें पद्म भूषण तो मनमोहन सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा और संसद के उच्च सदन में मनोनीत किया। परासरन का जन्म 1927 में तमिलनाडु के श्रीरंगम में हुआ। उनके पिता केशव अयंगर वैदिक विद्वान थे और मद्रास हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में वकालत की थी।

ट्रस्ट करेगा मंदिर निर्माण

माला दीक्षित ● नई दिल्ली

अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण केंद्र सरकार द्वारा गठित न्यास (ट्रस्ट) करेगा। न्यास ही मंदिर प्रबंधन और वहां का अन्य कामकाज देखेगा। ट्रस्ट में कौन-कौन होगा यह भी केंद्र सरकार ही तय करेगी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, श्री बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ही तर्ज पर एक ट्रस्ट का गठन होगा जो मंदिर का निर्माण कराएगा और उसका प्रबंधन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह तीन महीने के भीतर ट्रस्ट का गठन करे और विवादित जमीन का अंदरूनी और बाहरी हिस्सा ट्रस्ट को सौंपे। केंद्र ट्रस्ट के अधिकार और कामकाज को लेकर नियम भी बनाएगा। कोर्ट ने कहा है कि ट्रस्ट के अधिकार में मंदिर बनाना शामिल होगा। मंदिर बनने के लिए सरकार अधिगृहीत जमीन भी दे सकती है क्योंकि केंद्र सरकार को अधिगृहीत जमीन ट्रस्ट या किसी और संस्था को देने का अधिकार है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जबतक ट्रस्ट बनाकर संपत्ति उसे नहीं सौंप दी जाती तबतक संपत्ति केंद्र के रिसीवर के ही कब्जे में रहेगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, फैसला देश के लिए नया सवेरा

नई दिल्ली : अयोध्या जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि यह फैसला देश के लिए नया सवेरा लेकर आया है। इसमें किसी तरह के भय, कटुता और नकारात्मकता की कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फैसले से सैकड़ों साल पुराना विवाद खत्म हो गया है। अब हम सबकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। इस विवाद को भूलकर अब हमें राष्ट्र निर्माण में जुट जाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का दिन सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का दिन है। हर हाल में देशवासियों को साथ रहना है ताकि लोगों के बीच एकता बनी रहे।

● पेज 3

एनआरसी और सिटिजन एक्ट अब बड़े मुद्दे

नीलू रंजन ● नई दिल्ली

विकास से जुड़े अपने एजेंडे के अलावा इन कानूनों में संशोधनों के जरिये भाजपा राष्ट्रवाद को दे सकती है धार

कश्मीर और राममंदिर के बाद यह सवाल लाजिमी है कि अब भाजपा के राष्ट्रवादी एजेंडे में क्या होगा? अटकलों का दौर शुरू हो गया है, लेकिन यह मानकर चला जा सकता है कि भाजपा फिलहाल विकास से जुड़े अपने एजेंडे के अलावा घुसपैठियों से निपटने के लिए पूरे देश में एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) लागू करने और नागरिकता कानून में संशोधनों जैसे मुद्दों पर ही केंद्रित रहेगी।

दरअसल लंबे समय से अयोध्या, अनुच्छेद 370 और समान नागरिक संहिता भाजपा के राजनीतिक एजेंडे में अहम रहा है। विपक्षी दलों ने भले ही इन्हें सांप्रदायिक एजेंडा करार दिया हो, भाजपा हमेशा इन्हें राष्ट्रवादी एजेंडे का हिस्सा बताती रही है। यहां तक कि सिटिजन एक्ट और एनआरसी को भी विपक्ष की ओर से सांप्रदायिक करार दिया जाता रहा है। माना जा रहा है कि एनआरसी और नागरिकता कानून में संशोधन के मुद्दे भाजपा के राष्ट्रवाद के एजेंडे को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं।

भाजपा अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने बार-बार साफ किया है कि देश में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं होगी और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसके साथ ही संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में नागरिकता कानून में संशोधन का विधेयक पेश किया जा सकता है। जाहिर है विपक्षी पार्टियों के लिए एनआरसी और नागरिकता कानून में प्रस्तावित संशोधनों का विरोध मजबूरी होगी। विपक्षी दल जितना मुखर विरोध करेंगे, भाजपा के लिए खुद को राष्ट्रवादी साबित करना उतना ही आसान होगा। इसलिए विपक्षी दलों को भाजपा की नीतियों की काट निकालने की चुनौती है। अयोध्या में राममंदिर का निर्माण, कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और तीन तलाक पर कानून के साथ समान नागरिक संहिता को अंतिम परिणति तक पहुंचाने का श्रेय तो भाजपा के खाते में ही जाएगा। ऐसे में उम्मीद है कि भाजपा अपने राष्ट्रवाद के एजेंडे को लगातार बढ़ावा देती रहेगी और आगामी विधानसभा चुनावों में इसे मुद्दा भी बनाएगी।

राज्यपाल ने फड़नवीस को दिया सरकार बनाने का न्योता

- कोश्यारी ने पत्र भेजकर पूछा-क्या सरकार बनाने के इच्छुक हैं
- भाजपा कोर कमेटी की बैठक के बाद बताएगी सरकार बनाने पर स्थिति

मुंबई में शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस के दौरान महाराष्ट्र भाजपा विधायक दल के नेता देवेंद्र फड़नवीस, साथ में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल (दाएं)। एएनआइ

राज्य ब्यूरो, मुंबई

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ने भाजपा विधायक दल के नेता देवेंद्र फड़नवीस को सरकार बनाने का निमंत्रण भेजा है। भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार का कहना है कि रविवार को कोर कमेटी की बैठक के बाद पार्टी राज्यपाल को बताएगी कि वह सरकार बनाना चाहती है, या नहीं।

राजभवन की ओर से शनिवार देर शाम जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्यपाल की ओर से भाजपा विधायक दल के नेता देवेंद्र फड़नवीस को पत्र भेजकर पूछा गया है कि क्या वह सरकार बनाने के इच्छुक हैं। राजभवन की विज्ञप्ति के अनुसार 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने और 24 अक्टूबर को चुनाव के परिणाम आने के 15 दिन बाद तक भी किसी दल की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया गया है। तब राज्यपाल ने स्वयं सरकार बनाने की संभावनाएं तलाशनी शुरू की हैं। इसी क्रम में उनकी ओर से सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का निमंत्रण भेजा गया है। बता दें कि भाजपा-शिवसेना ने चुनाव पूर्व गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। इसमें भाजपा को 105 और शिवसेना को 56 सीटें प्राप्त हुई हैं। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद से ही शिवसेना की ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद की मांग करने के कारण दोनों दलों के बीच तनातनी का दौर चल रहा है।

आज होगी भाजपा की बैठक : इस बीच राज्यपाल शुक्रवार को ही पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक मुख्यमंत्री का दायित्व निभाने की जिम्मेदारी दे चुके हैं। आज राजभवन से भाजपा को सरकार बनाने का निमंत्रण मिलने के बाद भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार ने बयान दिया है कि रविवार को भाजपा कोर कमेटी की बैठक में तय किया जाएगा कि भाजपा सरकार बनाने का दावा पेश करेगी या नहीं। बता दें कि यदि भाजपा सरकार बनाने का दावा करती है तो राज्यपाल भाजपा की अल्पमत सरकार को शपथ दिलाकर उसे बहुमत सिद्ध करने के लिए कुछ दिनों का मौका दे सकते हैं। यदि भाजपा अपने पुराने निर्णय के अनुसार सरकार बनाने से इन्कार कर देती है, तो राज्यपाल के पास दूसरे सबसे बड़े दल, यानी शिवसेना को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देना पड़ेगा। शिवसेना पहले से ही 170 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा करती आ रही है। वहीं, राकांपा के प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि राज्यपाल का निर्णय देर से आया है। अगर शक्ति परीक्षण हुआ तो राकांपा निश्चित रूप से भाजपा के खिलाफ वोट देगी। और अगर शिवसेना ने भाजपा के खिलाफ वोट किया तो वह शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देने पर विचार करेगी।

फिर भी आसान नहीं सरकार बनाना : लेकिन सरकार बनाना शिवसेना के लिए भी आसान नहीं होगा। क्योंकि राज्यपाल उससे कम से कम 145 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी मांग सकते हैं। अथवा उससे भी आगे उसे समर्थन कर रहे विधायकों की राजभवन में प्रत्यक्ष परेड करवाने को कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में शिवसेना के पास दोनों विपक्षी दलों कांग्रेस और राकांपा के विधायकों का समर्थन जरूरी होगा।

इंतजार खत्म

भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पाकिस्तान में इमरान खान ने किया उद्घाटन, प्रधानमंत्री ने कॉरिडोर के लिए इमरान खान का किया धन्यवाद, जत्थे में मनमोहन, कैप्टन, बादल, सिद्धू व सनी देयोल भी गए

72 साल की अरदास पूरी, करतारपुर साहिब के हुए दर्शन

भूपेंदर सिंह भाटिया, डेरा बाबा नानक (गुरदासपुर)

श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मना रहे सिख समाज की 72 साल की अरदास शनिवार को पूरी हो गई और भारतीय सिख श्रद्धालुओं को पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शन का सौभाग्य मिला। भारतीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पाकिस्तान में वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कॉरिडोर का उद्घाटन किया।

प्रधानमंत्री मोदी शनिवार सुबह पहले सुल्तानपुर लोधी (कपूरथला) पहुंचे और गुरुद्वारा श्री बेर साहिब में माथा टेका। इसके बाद डेरा बाबा नानक पहुंचे प्रधानमंत्री ने कॉरिडोर के पैसेंजर टर्मिनल अर्थात इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया और खालसाई ध्वज दिखाकर पहले जत्थे को गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के लिए रवाना किया। उन्होंने गुरु नानक देव पर 550 रुपये का सिक्का भी जारी किया। पीएम मोदी ने कॉरिडोर की शुरुआत के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान और सिख संगत की भावनाओं का ख्याल रखा, बल्कि उन भावनाओं का सम्मान भी किया। मोदी ने कहा कि श्री गुरुनानक देव जी पूरी मानवता के लिए प्रेरणास्रोत थे। उन्होंने जब सुल्तानपुर लोधी छोड़ विश्व भ्रमण शुरू किया तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह युग बदलने की शुरुआत है। उनकी उदासियां (धार्मिक यात्राएं) पूरी दुनिया के लिए बेहतरीन मिसाल हैं। करतारपुर की धरती में उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया और उसके कण-कण में उनके पसीने की महक है। मोदी ने कहा, अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू-कश्मीर में भी सिख परिवारों को वह अधिकार मिल पाएंगे जो वहां के लोगों को मिलते थे।

पंजाब में गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक में शनिवार को करतारपुर कॉरिडोर की पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग के उद्घाटन के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अभिवादन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रेट्र

एसजीपीसी ने किया सम्मानित : एसजीपीसी ने बतौर प्रधानमंत्री सिख पंथ के हित में किए कार्यों के लिए मोदी को कौमी सेवा अवार्ड प्रदान किया, जिसे उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी को समर्पित कर दिया।

डॉ. मनमोहन बोले, दोनों देशों ने की अच्छी शुरुआत : श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के नेतृत्व में पहले जत्थे में करीब पांच सौ श्रद्धालु गए। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल, सांसद सनी देयोल और पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी गए दर्शन कर शाम को वापस लौट आए। डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि दोनों देशों की ओर से यह अच्छी शुरुआत है।

बाज नहीं आए इमरान, आलापा कश्मीर का राग : भारत से गए पहले जत्थे की मौजूदगी में इमरान खान ने कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए कहा कि मुझे एक साल पहले तक इस स्थान की अहमियत का पता नहीं था, लेकिन आज अपार खुशी हो रही है कि आपके लिए मैं ऐसा कर सका। हालांकि इमरान अपनी आदतों से बाज नहीं आए। कहा, 'कश्मीर में 80 लाख लोगों को नौ लाख की फौज घाटी में बंद कर दिया है। कश्मीर अब सीमा की हदबंदी का नहीं, इंसानी हकों का मुद्दा बन गया है। वहां कश्मीरियों के सभी हक छीन लिए गए हैं। उन्होंने कहा, 'नरेंद्र मोदी यदि मेरी बात सुन रहे हैं तो कश्मीर को इंसाफ दें, ताकि हम सब इंसानों की तरह रह सकें। हम चाहते हैं कि भारत और पाक की सीमाएं ही खुल जाएं। दोनों देश व्यापार के रास्ते पर आगे बढ़ें, ताकि दोनों ओर जलालत खत्म हो सके। इमरान बोले, जब वह प्रधानमंत्री बने थे तो पहली बार मोदी से बात करते हुए कहा था कि कश्मीर का मसला हम मिल-बैठकर क्यों हल नहीं कर सकते। पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्री ने नरूल हक कादरी ने कहा कि अगर बर्लिन की दीवार गिर सकती है, कॉरिडोर खुल सकता है तो एलओसी भी खत्म हो सकती है।

(पेज-11 भी देखें)